

2018/00239

Secree  
15.6.18

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौदण  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

14/1/18  
15.6.18

कैम्प कोर्ट का स्थान :- उपरला

नम्बर मुकदमा :-

उनवान मुकदमा :-

जाधूलाल

बनाम

तहसीलडा-चौदण

विषय :- लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु।


महोदय,

विनम्र निवेदन है, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पॉडेन्ट/ है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।


अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी

स्थान :- उपरला  
दिनांक :- 15.6.18



नि-जाधूलाल/गुडशिम



नि-जाधूलाल/कनका

नि-कुवराम/डिराजराठ

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र-5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, वीरगंज  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- सुपेन्द्र कुमार भादव R.A.S

वाक़ुलाल

उनवान तहसीलदार कटहल  
बनाम .....

दावा बाबत 88 Acre

मुकदमा नम्बर :- 148/18

निर्णय दिनांक :- 15.6.18

वादी की ओर से वाक़ुलाल की व प्रतिवादी की ओर से ..... की  
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.6.18 को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी).....  
उपखण्ड अधिकारी, वीरगंज के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वाद ऊपरी सटमति में लोकार का नौजा  
कोटिका जला के ख. न. 689, 748/690 क्षमि में  
वादी का नाम शीपा 110 गार्ड कटहल पर शूद्रनाम  
वाक़ुलाल 510 गु सार्डराम कुररत केने की घोषणा की  
जाती है निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार न्यायालय  
को कौशा दिया जाता है फावले फसल शुभारंभ कर सखिल रफर हो



पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।  
आज तारीख 15.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( 2 )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,.....